

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

[नियम 8(6)] अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपरिचित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत के अधीन अचल परिसंपत्ति के बिक्री की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा सामान्य और आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति प्रत्याभूत लेनदार को बंधक /प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसकी बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "जो भी वहां है" तथा बिना किसी दायित्व के आधार पर की जाएगी। संबंधित संपत्ति के विवरण के समक्ष आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी प्रदर्शित है। ई-नीलामी बैंक द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता ई-नीलामी एजेंसी की वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट- <https://baanknet.com> को देखें।

ई-नीलामी की तिथि व समय : 25.08.2026, प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित समय सहित)
बिड जमा करने की अन्तिम तिथि व समय : 24.08.2026, अपराह्न 04:00 बजे तक

ऋणी, बंधककर्ता और जमानतकर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि/ बिड मूल्य
शाखा- अजीतमल, औरैया शाखा, मो.नं. 000000				
ऋणी: श्री रवि दुबे पुत्र राम मोहन दुबे, पता: सिद्धार्थ नगर, बाबरपुर अभिनंदन गेस्ट हाउस के पास, अजीतमल, औरैया-206121; एवं जतानतकर्ता: श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री राम मोहन दुबे, पता: सिद्धार्थ नगर, बाबरपुर अभिनंदन गेस्ट हाउस के पास, अजीतमल, औरैया-206121	1. सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, मालिक: श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री राम मोहन दुबे, विक्रय विलेख क्रमांक सं. 9215, दिनांक 14.11.2011, क्षेत्रफल 360 वर्ग फीट (33.457 वर्ग मीटर के बराबर), मोहल्ला इस्लाम नगर, बाबरपुर, तहसील अजीतमल, जिला औरैया-206121 (उ.प्र.), चौहददी: पूर्व: क्रेता (गुड्डी देवी) का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता 18 फीट, उत्तर: अवधेश का प्लॉट, दक्षिण: धर्म नारायण का प्लॉट 2. सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, मालिक: श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री राम मोहन दुबे, विक्रय विलेख क्रमांक सं. 9140, दिनांक 07.12.2010, क्षेत्रफल 690 वर्ग फीट (64.126 वर्ग मीटर के बराबर), मोहल्ला इस्लाम नगर, बाबरपुर, तहसील अजीतमल, जिला औरैया-206121 (उ.प्र.), चौहददी: पूर्व: 8 फीट सड़क, पश्चिम: अवधेश कुमार गुप्ता का प्लॉट, उत्तर: हशमलतारा का प्लॉट, दक्षिण: जरीना मुराद का प्लॉट	रु. 13,90,125.89 + उसपर बाद को लागू ब्याज तथा व्यय	25.08.2026 प्रातः 10:00 से सायं 4:00 तक	रु. 5.85 लाख (आरक्षित मूल्य) रु. 0.59 लाख (अग्रिम राशि) रु. 10,000/- (बिड बढ़ोतरी राशि) रु. 7.17 लाख (आरक्षित मूल्य) रु. 0.71 लाख (अग्रिम राशि) रु. 10,000/- (बिड बढ़ोतरी राशि)

- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।
- उपयुक्त संपत्ति को ऊपर बताए गए आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
- बोलीदाताओं को वेबसाइट <https://baanknet.com> पर पंजीकृत होना होगा और केवाईसी दस्तावेज सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपलोड करने होंगे। धरोहर राशि एनईएफटी के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में दिनांक 24.08.2026 सायं 04:00 बजे तक जमा की जाएगी। (<https://baanknet.com> से चालान जनरेट होने के बाद)
- अधिक जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी, **मोबाइल नं0- 7390932121** से संपर्क करें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।
- सफल बोलीदाता को सुरक्षित संपत्ति के पंजीकरण/हस्तांतरण के लिए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण, कर देयता आदि जैसे सभी आवश्यक खर्च वहन करने होंगे।
- नियम और शर्त पूरी तरह से SARFAESI अधिनियम, नियम 2002 एवं बैंक की पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार होगी।

उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता को सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि की वसूली के लिए अचल सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए सूचित किया जाता है।